



उ०प्र० लघु उद्योग निगम लि०

110 औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर।

निगम द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 5 एकड़ से 50 एकड़ के मध्य विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भू-स्वामियों के चयन हेतु

रूचि की अभिव्यक्ति (EXPRESSION OF INTEREST)

उ० प्र० लघु उद्योग निगम द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर 5 एकड़ से 50 एकड़ के मध्य विकसित किये जाने वाले औद्योगिक क्षेत्रों हेतु भू-स्वामियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत प्रपत्र निगम की वेबसाइट www.upsic.in पर उपलब्ध है। योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु निगम के मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा इसी आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। किसी एक अथवा समस्त आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रबन्ध निदेशक



**U.P. SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD,
110, Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur**

**REQUEST FOR
EXPRESSION OF INTEREST**

FOR

**SELECTION OF LANDOWNER
PARTNER FOR DEVELOPMENT OF
MODERN INDUSTRIAL AREAS**

U.P. SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.

Head Office : 110, Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur. Phone No. 0512-2441119

Area Offices:

Kanpur - 110, Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur Phone No. 0512-22126644

Lucknow – B-24, Scooter India Ancillary Estate, Nadarganj, Amausi, Lucknow. 0522-24381085

Agra – 70, Nunihai Industrial Area, Agra. Phone No. 0562- 22817102

Mooradabad – Near GMDIC Office PAC Mooradabad Phone No. 0591-24546497

Ghaziabad – 12, Patel Nagar, Ghaziabad Phone No. 0120- 27008193

Prayagraj – 5-B, Katra Road, Pryagraj Phone No. 0532-24403026

Nodal Officer – PPP Industrial Area Development Scheme. Phone No. 9452962264

Table of Contents

S.No.	Content	Page No
	<ul style="list-style-type: none">• Background	2
	<ul style="list-style-type: none">• Objective	2
	<ul style="list-style-type: none">• Definitions	3
1.	Project Particulars <ul style="list-style-type: none">• Quantum of Assistance	4 6
2.	Implementation & Operation	6
3.	Key Roles & Responsibilities of Primary Stake Holders <ul style="list-style-type: none">• UPSIC• Landowner• Co-developer• Buyer	8 8 9 10 11
4.	Land allotment Process	11
5.	Instructions for submission	12
6.	Criteria for shortlisting of landowners	13
7.	Formats for submission <ul style="list-style-type: none">• Format A• Format B	14 14 15

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST

Background

- The Uttar Pradesh Small Industries Corporation Ltd. (UPSIC), was established in the year 1958 as Government owned enterprise. The corporation's objectives range from facilitating the availability of raw materials to MSMEs to distribution and marketing of goods manufactured by the units.
- UPSIC is the only Corporation established by the Uttar Pradesh Government for facilitating the promotion and development and enhancing the competitiveness of MSMEs, so that their participation in industrial development of the state can be magnified.
- India aims to become US\$5 trillion economy by 2025. Uttar Pradesh would like to contribute majority to this target and aims to become US\$1 trillion economy by the same time. To this end, the State Government of Uttar Pradesh is not only targeting large investments but also concentrating on strengthening its MSMEs.
- The state of Uttar Pradesh is the 3rd largest economy in the country contributing nearly 8% to national GDP. State has the largest consumer base with over 200 million populations. Being one of India's youngest states, UP has largest workforce with appropriate mix of skilled, semi-skilled and unskilled labour. The recent influx of work force from other states is further adding to the demographic dividend of the state.
- Laying along the fertile plains of Ganges the state is blessed with unlimited opportunities. With a strong agriculture base, UP is also amongst top 5 manufacturing states in India and has highest number of MSMEs (organized & unorganized) in India.

Objective

- The objective of floating the Expression of Interest is to invite the proposals from the private landowners, group of landowners having land parcel from 5 acre to 50 acres in a single stretch and willing to setup an industrial area in that land parcel
- These integrated industrial areas will be developed as per the Government of Uttar Pradesh industrial estate norms but having modern facilities such as labour hostels, common raw material storage facility, dedicated space for truck parking, CETP, roads, green area etc.

- These industrial areas can be single product or multi product depending upon the requirements of the investors
- To achieve industrial development growth, aligned with the target of 10 per cent per annum growth in State Gross Domestic Product (SGDP)
- To accelerate industrial development in the State
- To further strengthen the existing industrial capacity in the State
- To create new employment opportunities across all economic sectors

Definitions

Modern Industrial Area: Modern Industrial Area implies as an estate which is developed in minimum area of 5 acres and maximum area of 50 acres will be covered under this policy. These industrial areas can have an anchor unit with their ancillaries' base or any manufacturing or service unit that want to setup their manufacturing setup in these industrial areas. These industrial areas will be having basic infrastructure facilities such as developed plot, internal roads, water distribution facilities, sewage, power distribution and such other facilities/services as may be required

Landowner: The Landowner can be an individual, group of individuals or a consortium/Joint Venture that come together to offer a combined land parcel (minimum 5 acres to 50 acre). The land parcel should be free from any case with clear title in the name of the individual, group of individuals or a consortium or Joint Venture. In case of consortium or Joint Venture, the individual promoter having maximum land will be considered as lead in the consortium or Joint venture.

Co-developer: Implies an individual or legal entity who intends to participate in development of industrial area with requisite capability of fund participation, technical skill and expertise in creation of infrastructure of industrial area. The co-developer shall primarily be responsible for development, marketing and sale/ lease of industrial area.

1. Project Particulars:

The UPSIC has come up with a policy in which private landowners are invited to partner directly in industrial development scenario. The landowner will carry out feasibility of the land with respect to the industrial estate project and thereafter Landowner, UPSIC and Co-developer will sign a tripartite agreement for the development of industrial area. Here, the co-developer would be responsible for developing the relevant infrastructure.

1. The policy shall encourage any individual or a group of individuals (constituted as a legal entity i.e. a company, SPV, among others) in legal possession (owned or 99-year lease) of 5 to 50 acres (minimum 5 acres of land; maximum 50 acres of land) of land to approach UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR for the development of 'Modern Industrial Area' on their land.
2. UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR, landowner/ legal entity representing landowners and co-developer shall get into a tripartite joint venture agreement for development of 'Modern Industrial Area'.
3. Land owner/ legal entity representing land owners will bring land to the table, UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR will bring its 'Know How/ Expertise' of planning and getting required approvals and incentives to the table and co-developer entity will bring in capital, implementation and marketing experience to the table.
4. Landowner/ legal entity representing landowners shall apply for offering their land for development of 'Modern Industrial Area'. Applications should be made online through the website of UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR. Application shall be supported with the relevant documents including land ownership documents.
5. Applications received on UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR website shall go through two committees for final approval of the 'Modern Industrial Area' project – First, Technical Committee and Second, Approval Committee i.e. Board of UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR. Technical Committee will have technical experts (including external experts) as its members to appraise viability (financial and otherwise) of industrial area project. Its recommendation report shall be placed before the Approval Committee for final approval. Both Technical Committee and Approval committee shall have powers to reject, approve and suggest changes in the industrial area project proposal.
 - a. Even before any industrial area proposal is placed before the Technical Committee, there shall be an initial evaluation of the land based on broader/ macro parameters such as demand, supply, project cost and financial viability, among other parameters. Additionally, there shall be validation of land ownership documents submitted by the applicant. This will be relatively a short process which will be completed within 15 working days of receiving the complete application. Landowner will submit the pre-feasibility report along with the application having the

details of the land connectivity, approach road, water and power availability and nearby industrial areas/ cluster. The application and the pre-feasibility report (Initial Evaluation Report) will be evaluated by UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR through its staff/ through a Project Management Unit (Consultant) hired for the purpose.

- b. Validation and Initial Evaluation Report along with recommendations shall be presented before the Technical Committee of UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR. The Committee shall approve/ reject/ suggest changes to the project.
- c. For projects wherein, Initial Evaluation Report is approved by the Technical Committee, a detailed project report (DPR) shall be prepared and placed before the Technical Committee for approval. The process should be completed within maximum up to 90 working days of receiving the Initial Evaluation Report approval. DPRs shall be prepared by Developer having following details i.e. Introduction, project background, project rationale, background of developer, market study and demand assessment, site configuration(status of clearances, proposed master plan, planning concept, details of utilities such as STP, CETP, raw material storage et.al, Project Structuring according to the no of Stakeholders involve in the project, Project financing including the debt details(if any), Project Development Strategy and Promotion Strategy.
- d. DPRs along with the recommendations of the Technical Committee shall be placed before the board of UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR for final approval.
- e. UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR board will approve, reject or suggest changes to the project. If changes are suggested in the proposal, the revised proposal should appear before the USPIC board within next 30 days.

6. Once an application is approved from the board of UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR, UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR shall start with the selection process of co-developer. This could either be done through empanelment route or through a competitive tender process (QCBS). The process of selecting the co-developer shall be completed within next 40 working days.

7. Post selection of co-developer a joint venture tripartite agreement will be signed between UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR, landowner/ legal entity representing landowners and co-developer for development of 'Modern Industrial Area'.

8. Once the joint venture tripartite agreement is signed UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR and co-developer of the project shall start working on industrial area plan and required approvals with an aim of starting the

construction work on the project within 6 months of getting the final approval. Further, co-developer will strive to complete the project within 1 year of starting the construction.

9. The policy will not be applicable for development of industrial areas under the New Okhla Industrial Development Authority, Greater Noida Industrial Development Authority and Yamuna Expressway Industrial Development Authority.

10. 'Modern Industrial Area' layout should be as per the rules and regulations of concerned development authority.

Quantum of Assistance:

- The private sector developer will be incentivized as per clause no 5.1.7 of the MSME Policy 2017 of Uttar Pradesh MSME Policy 2017 संख्या-22/2017/869/18-2-2017-80(ल0उ0)/2017 notified on 15 December 2017.
- The extent and quantum of subsidy, waiver and other compliance benefits shall be applicable as per Rules for Implementation of Industrial Investment and Employment Promotion Policy-2017(IIEPP-2017)
- For all compliances and detailed policy, the "Policy for the development of Industrial Area in Uttar Pradesh on Public Private Partnership basis" and office order no 2860/77-6-2018(M)/17 T.C. 1, Lucknow, dated 20 July 2018, shall be considered.

1. Implementation and Operation

1. Any approved 'Modern Industrial Area' proposal shall be implemented strictly as per the tripartite agreement signed between UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR, Landowner/ legal entity representing landowners and co-developer.
2. Roles and responsibilities of UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR, Landowner/ legal entity representing landowners and co-developer, and implementation process of 'Modern Industrial Area' project shall be detailed in the tripartite agreement. Broadly, Land owner/ legal entity representing land owners will bring land to the table, UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR will bring its 'Know How/ Expertise' of planning and getting required approvals and incentives to the table and co-developer entity will bring in capital, implementation and marketing experience to the table.
3. UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR which will have 5% stake in the project without capital infusion, other partners shall have their stake commensurate to their investment in the project.

4. Post submission of final feasibility and project development structure by the co-developer the share of revenue for co-developer and landowners will be decided.
5. Co-developer and landowners shall recover their investment in the project through sale/ lease of industrial plots. The payouts shall be made in phases with respect to sale/lease of these industrial plots. Land sale/ lease rates shall be decided based on cost of funds available for the project and expected return on investment.
6. Asked return on investment for the project along with various quality parameters shall be basis of selecting co-developer through a transparent bidding process (QCBS).
7. Industrial plots developed through the policy shall be available for booking/ sales exclusively through UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR website. UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR shall develop a geographic information system (GIS) based system of booking plots for the purpose.
8. All payments should also be done on UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR website which should be connected to project specific escrow accounts. Checks should also be credited to project specific escrow accounts.
9. Revenue sharing from plot sales shall be done commensurate to stakeholders share in the project i.e. 10% for UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR and 90% for co-developer and land owners (treating their investment as twice of circle rate of land they provided for the project) as per their share in the project.
10. For the first five years, including the construction period, co-developer will take care Operations and Maintenance (O&M) of the industrial area. Post that, co-developer shall transfer O&M to a SPV composed of owners of plots in the industrial area.
11. Till the time co-developer is taking care of O&M of an industrial area, entire O&M amount shall be transferred to co-developer on monthly basis.

3. Key Role & Responsibilities of Primary Stakeholders

- **Uttar Pradesh Small Industries Corporation: -**

The Uttar Pradesh Small Industries Corporation, Government of UP will support the Landowner and developer on the following aspects –

- a. The Corporation Will Facilitate the developer and Landowner in fulfilling all conditions as mentioned in the Uttar Pradesh MSME Policy 2017
- b. The Corporation will facilitate the Landowner in getting the Change in Land Use. The fees were ever applicable will be borne by the Landowner.
- c. The Corporation will scrutinize the Detailed Project Report Submitted by the Codeveloper and after technical vetting of the DPR, Corporation will approve the same.
- d. The Corporation will be responsible for the motoring of the project as per the defined implementation Schedule defined in Detailed Project Report
- e. The Department will assist/ handhold the developer/ units in obtaining various clearances from Government of UP. But the Charges involved will be borne by the Codeveloper wherever applicable viz. –
 - i. Property Registration
 - ii. Building Plan Approval
 - iii. NOC from Fire Department (prior to commencement of construction activities) or Provisional
 - iv. NOC for Tree Felling (if required)
 - v. Power Connection
 - vi. Water Connection
 - vii. Road Cutting Permissions (if required)
 - viii. Registration under The Factories Act, 1948
 - ix. Consent to Establish Under Air and Water Act (NOC)
 - x. Authorization under the Hazardous and Other Wastes (Management and Trans boundary Movement) Rules, 2016
 - xi. Consent to Operate under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974
 - xii. Consent to Operate under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981
 - xiii. Registration under The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996
 - xiv. Registration of establishment under the Inter State Migrant Workmen (RE/CS) Act, 1979 (if required)
 - xv. Registration under Motor Transport Act
 - xvi. License for contractors under provision of The Contracts Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
 - xvii. Registration of principal employer's establishment under provision of The Contracts Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970

• **Landowner: -**

- A. The landowner(s) shall make the land available for industrial area development
- B. Landowner shall conduct the "Change in Ownership" of the land direct and/or indirect legal or beneficial ownership of aggregate holding of the land. The Landowner may enter into "Agreement for Lease of Land for development of Modern Industrial Area"
- C. In case where the land is owned by a group of individuals not registered as a company or consortium then partner individual with the ownership of the maximum land bank shall develop the inter-agreement of the transfer of their shares of land. The said partner will also disclose the share of land parcel of other individual partners. This share of land parcel shall be used for all future payouts and reimbursements. Such group of individuals shall also furnish a deed / undertaking / bonafide to The Uttar Pradesh Small Industries Corporation, Kanpur regarding their mutual agreement on land use and all other legalities.
- D. In case of consortium or Joint Venture, the individual promoter having maximum land will be considered as lead in the consortium or Joint venture. In this case the landowner with the ownership of the maximum land bank in the consortium of landowners shall develop the inter-agreement of the transfer of their shares of land.
- E. After the signing of Tri-party agreement between Landowner, UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR and Co-developer. The land owner will transfer the land in the name of the Special Purpose Vehicle (Private Limited Company/ Partnership firm/ Limited Liability Partnership form) formed for the execution of the Project under a condition that it the project do not execute for the period of 2 years as per the DPR implementation Schedule (excepted by UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR/Committee) than the land will be transferred back to land owner and charges incurred will be borne by Codeveloper

- **Co-developer**

A. The Co-developer will prepare the Detailed Project Report and Submit the application to UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR as per the defined format (Ref. Annexure)

B. The co-developer shall perform the following in the below mentioned phases-

Project Phase	Key Activities to be undertaken by Co-developer
Pre- Planning Phase	Make capital available for the project
	Financial Closure with Lenders
	Obtain all necessary approvals
Planning Phase	Conduct Branding and Marketing activities to attract buyers
Interim Phase/Construction Phase	Undertake all the necessary steps, including construction activities for – i. To engineer, procure, finance, construct, operate and maintain the Project Facilities ii. Environment management and monitoring
	To exercise and/ or enjoy the rights, powers, benefits, privileges, authorizations and entitlements granted under this Agreement including undertaking of activities defined in Scope of Work
Operations & Maintenance Phase	i. Necessary Operation and maintenance of the facilities including solid waste management. ii. Billing of all management charges (users charges) iii. Share revenue with UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR as per the equity of the stakeholders.

- **Buyer**

- i. The buyer shall make payment for purchasing the plots
- ii. The buyer shall Provide O&M fees
- iii. Landowner shall conduct the "Change in Ownership" of the land direct and/or indirect legal or beneficial ownership of aggregate holding of the land.

4. Land Allotment Process

1. Unit must apply online in prescribed application form with all enclosures (as per check list) and with requisite fees and 10% of plot value applied for.
2. After receiving application, a letter of intent (LOI) issued to applicant within 15 days from receiving complete document with certain condition. Unit must fulfill all conditions of LOI within 30 days.
3. After completion of formalities mentioned in LOI a Letter of Allotment is issued within 7 days.
4. Unit must sign a Lease/ Sales Deed within 30 days of Issue of Allotment order.
5. Executed Lease/ Sales deed must be registered and submit to UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR within 30 days.
6. After submission of registered Lease/ Sales Deed possession of plot is given to the unit within 7 days.
7. Unit must come in production within two years in case of micro and small-scale unit, within three years in case of medium and within four years in case large scale unit from the date of taking over the possession of allotted land.
8. In case of Anchor Unit, not more than 40% of the saleable land can be allotted to single anchor unit

5. Instructions for submission of application:

- The purpose of this Expression of Interest (EOI) is to create initial awareness about the Project in the market, identify potential Land Owners interested to join hands with Uttar Pradesh Small Industries Corporation (UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR) for implementation of the project and bring land at different locations of the state. Subsequent to submission of the EOI Proposals, Applicants fulfilling the requirements as mentioned in this EOI shall be invited by the Department for interactions/ presentations based on which project contours including finalization of bid parameters, project structuring, finalizing the role of the land owners etc. shall be frozen and selection process shall be done.
- For the purpose of abundant clarity, it is hereby clarified that any and all response(s) to the advertisement inviting this EOI does not make it obligatory for UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR to finalize the Applicants expressing their interest. Further, UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR reserves the right to reject all or any of the submissions hereunder without assigning any reasons whatsoever or undertake any other process for allotment of land for the Project independent & exclusive of this EOI. The said condition shall be read & construed as the essence of this EOI.
- UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR may, in its absolute discretion but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information, assessment or assumptions contained in this EOI. The issue of this EOI does not imply that UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR is bound to undertake the Bidding Process and/or select and short-list pre-qualified Bids for Bid Stage or to appoint the selected Applicant, as the case may be, for the Project and UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR reserves the right to reject all or any of the submissions hereunder without assigning any reasons whatsoever.
- The applicant will have to submit all the information as required in prescribed FORMATS A & B, along with a **non-refundable processing fees of Rs.5900/- (including GST)**. This should be deposited through a demand draft in favour of
Uttar Pradesh Small Industries Corporation Ltd
110, Kanpur Road, Industrial Estate, Fazalganj Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur, Uttar Pradesh 208013.
- Any other relevant information that would establish the credentials and suitability of the promoters in the context of the Scheme can also be submitted along with.
- All the proposal to EOI must be submitted in sealed envelope addressed to
Uttar Pradesh Small Industries Corporation Ltd
110, Kanpur Road, Industrial Estate, Fazalganj Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur, Uttar Pradesh 208013.

6. Criteria for Short Listing of Landowners

The EoI submitted by the applicants shall be shortlisted based on the following criteria:

S.No.	Parameters	Category	Details
1	Land Use	Waste land	The Landowner must specify, the correct category of land parcel in Format A point 3.
		Agriculture	
		Forest	
		River	
		Ponds	
2	Railway Accessibility	0-2 km	The landowner must specify most accurate distance range in Format A point 6.
		2-5 km	
		5-10 km	
		10-20 km	
		>20 km	
3	Road Accessibility	0-2 km	The landowner must specify most accurate distance range in Format A point 8(a).
		2-5 km	
		5-10 km	
		10-20 km	
		>20 km	
4	Distance from River	>2 km	The landowner must specify most accurate distance range in Format A point 8(d).
		1-2 km	
		500 m-1 km	
		250-500 m	
		0-250 m	
5	Proximity to Urban Areas	>2 km	The landowner must specify most accurate distance range in Format A point 7.
		1-2 km	
		500 m-1 km	
		250-500 m	
		0-250 m	
6	Special Permit	Does the Land lie in any pre-designated area, for which special Government Permit is required?	The landowner must specify any prior land use restriction (such as TTZ etc.)

7. Formats for submission:

FORMAT A

FORMAT - FOR Landowner(s)

(To be filled and signed by the Landowner)

1. Name and address of the applicant with Adhaar	
2. Name of the location with Coordinates	
3. Whether the land is in name of the Landowner? Any Court Case pending? Any other joint holder?	
4. Land Status (Is the Land is in Agriculture use/ Commercial use) - Original Land Use	
5. Distance of the land from the Forest	
6. Clear title of land/Agreement to sell (with map)	
7. Location parameters including distance from railway station / bus stand	
8. Region details (Socio – Economic Ecosystem of the proposed area)	
9. Minimum infrastructure facilities available? a. Approach Road. b. Storm Water Drainage System c. Domestic sewerage collection and disposal system (if Any) d: Closest water resource?	
10. Land Cost (Please provide the details about the Circle rate of that area)	
11. In case where the land is owned by a group of individuals not registered as a company or consortium	<ul style="list-style-type: none">•Name of the member with largest share of land parcel•Agreement / Deed / Bonafide (Copy of the document to be attached)
11. Share the lead member, in case of Consortium / SPV along with ID Proof	
12. If any company is member of more than one Consortium, its financial capability vis-à-vis its total turnover & net worth	
13. Processing fees Demand Draft Number and Bank Details	

Signature

Format for Application

(To be submitted with EOI Application by Applicant (Lead Member in the case of Consortium))

To,
The Managing Director,
Uttar Pradesh Small Industries Corporation Ltd
110, Kanpur Road, Industrial Estate, Fazalganj Industrial Estate,
Fazalganj, Kidwai Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh 208013

Sub: - Submission of Expression of Interest (EOI) for participation as landowner partner for the Development of Modern Industrial Areas

Sir,
With reference to your EOI published dated, I/We, having examined the EOI Document thoroughly and understood its contents, hereby inform you that I/We am/are willing to submit proposal for the captioned project, subject to the invitation to offer made by you. With reference to the captioned subject, I/We the undersigned am/are hereby expressing our Interest to participate in the project.

We understand that the purpose of this EOI is to create initial awareness about the Project in the market and identify potential Landowners interested in the projects. Further, the issue of this EOI does not imply that UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR is bound to appoint the selected Applicant, as the case may be, for the Project and the department reserves the right to reject all or any of the submissions hereunder without assigning any reasons whatsoever. It is also hereby clarified that UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR may, at its exclusive discretion, either invite bids only from those Interested Parties who had submitted their EOIs or from open market.

We understand that we satisfy the minimum requirements to participate in this EOI as outlined in the EOI document and have prepared our expression of interest for the captioned project as specified in EOI Document.

Further, we understand after evaluation of all proposals received by UTTAR PRADESH SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD, KANPUR, the department shall shortlist suitable proposals and may ask for detailed proposals from shortlisted Applicants.

We confirm that we agree with the instructions, terms and conditions provided in Invitation for EOI.

The undersigned declares that the statements made, and the information provided in the duly completed application is complete, true, and correct in very detail.

Yours faithfully,

Authorized Signatory

Date:

(Name / Name of entity representing landowners)

Place:



उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि०

110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर।

आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों
के विकास हेतु भू-स्वामी सहभागी के चयन

हेतु

रुचि की अभिव्यक्ति का अनुरोध

(Expression of Interest)

U.P. SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.

Head Office : 110, Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur. Phone No. 0512-2441119

Area Offices:

Kanpur - 110, Industrial Estate, Fazalganj, Kanpur Phone No. 0512-22126644

Lucknow – B-24, Scooter India Ancillary Estate, Nadarganj, Amausi, Lucknow. 0522-24381085

Agra – 70, Nunihai Industrial Area, Agra. Phone No. 0562- 22817102

Mooradabad – Near GMDIC Office PAC Mooradabad Phone No. 0591-24546497

Ghaziabad – 12, Patel Nagar, Ghaziabad Phone No. 0120- 27008193

Prayagraj – 5-B, Katra Road, Pryagraj Phone No. 0532-24403026

Nodal Officer – PPP Industrial Area Development Scheme. Phone No. 9452962264

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	• पृष्ठभूमि	2
	• उद्देश्य	2
	• परिभाषाएं	3
1.	परियोजना का विवरण • सहायता का परिमाण	4 6
2.	कार्यान्वयन एवं संचालन	6
3.	मुख्य हितधारकों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व • उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम • भू-स्वामी • सह-विकासकर्ता • क्रेता	8 8 9 9 10
4.	भूमि आवंटन की प्रक्रिया	11
5.	जमा/प्रस्तुत करने हेतु निर्देश	12
6.	भू-स्वामियों के चयन हेतु सूचीबद्ध करने के मानदंड	13
7.	जमा करने के प्रारूप • प्रारूप ए • प्रारूप बी	14 14 15

रुचि की अभिव्यक्ति का अनुरोध (Request for Expression of Interest)

पृष्ठभूमि

- उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (यूपीएसआईसी) की स्थापना वर्ष 1958 में सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में हुई थी। निगम के उद्देश्यों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को कच्चे माल की उपलब्धता सहित इकाइयों द्वारा निर्मित वस्तुओं के वितरण एवं विपणन में सहायता प्रदान करना सम्मिलित है।
- यूपीएसआईसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एकमात्र निगम है, जो एमएसएमई की प्रगति एवं विकास को प्रोत्साहित करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है, ताकि राज्य के औद्योगिक विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके।
- वर्ष 2025 तक भारत सरकार का लक्ष्य देश में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था विकसित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान करने की दिशा में राज्य में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था स्थापित करने हेतु प्रयासरत् है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार न केवल वृहद् निवेश को लक्षित कर रही है, अपितु प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित कार्यवाही भी कर रही है।
- उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान करता है। राज्य 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता आधार है। भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने के कारण उत्तर प्रदेश में कुशल, अर्ध-कुशल तथा अकुशल श्रम के उपयुक्त मिश्रण के साथ सबसे बड़ा कार्यबल उपलब्ध है। हाल ही में अन्य राज्यों से प्रवासी कार्यबल की वापसी के फलस्वरूप राज्य के जनसांख्यिकीय लाभांश में वृद्धि हो रही है।
- गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे स्थित इस राज्य में असीमित अवसर विद्यमान हैं। एक सुदृढ़ कृषि आधार के साथ उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष 5 विनिर्माण राज्यों में से एक है तथा यहां देश में एमएसएमई (संगठित और असंगठित) की सबसे अधिक संख्या है।

उद्देश्य

- इस रुचि की अभिव्यक्ति के अनुरोध (EoI) का उद्देश्य ऐसे निजी भू-स्वामियों, भू-स्वामियों के समूह से प्रस्तावों को आमंत्रित करना है, जिनके पास 5 एकड़ से 50 एकड़ सन्निहित भूमि का पार्सल हो तथा वे उस भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के इच्छुक हों।
- ये एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक आस्थान मानदंडों के अनुसार विकसित किए जाएंगे, जो आधुनिक सुविधाओं, जैसे- श्रमिक छात्रावास, सामान्य कच्चे माल के भंडारण की सुविधा, ट्रक पार्किंग के लिए समर्पित स्थान, सीईटीपी, सड़कें, हरित क्षेत्र आदि से युक्त होंगे।

- ये औद्योगिक क्षेत्र निवेशकों की आवश्यकताओं के आधार पर एकल-उत्पाद या बहु-उत्पाद हो सकते हैं।
- राज्य सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य के साथ औद्योगिक विकास वृद्धि प्राप्त करना।
- राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना।
- राज्य में विद्यमान औद्योगिक क्षमता को और सुदृढ़ करना।
- समस्त आर्थिक क्षेत्रों में रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना।

परिभाषाएं

आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र : आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र का तात्पर्य एक ऐसे आस्थान से है, जो 5 एकड़ के न्यूनतम क्षेत्र तथा 50 एकड़ के अधिकतम क्षेत्र में इस नीति के अन्तर्गत विकसित किया जाए। इन औद्योगिक क्षेत्रों में सहायक इकाइयां या विनिर्माण या सेवा इकाई के साथ एक एंकर इकाई हो सकती है, जो इन औद्योगिक क्षेत्रों में विनिर्माण सुविधा को स्थापित करना चाहती हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं होंगी, जैसे विकसित भूखंड, आंतरिक सड़कें, जल वितरण सुविधाएं, सीवेज, विद्युत वितरण तथा ऐसी अन्य सुविधाएं / सेवाएं जिनकी आवश्यकता हो सकती है।

भू-स्वामी : भूस्वामी का तात्पर्य एक व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या एक संकाय / संयुक्त उद्यम (Consortium/ Joint Venture) से है, जो मिल कर एक संयुक्त भूमि पार्सल (न्यूनतम 5 एकड़ से 50 एकड़) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देते हैं। भूमि पार्सल व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या एक संकाय या संयुक्त उद्यम के नाम में स्पष्ट स्वामित्व के साथ किसी भी वाद-विवाद से मुक्त होना चाहिए। कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम के प्रकरण में अधिकतम भूमि के स्वामित्व वाले एकल प्रवर्तक को कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का नेतृत्वकर्ता या नायक (Lead) माना जाएगा।

सह-विकासकर्ता : सह-विकासकर्ता का तात्पर्य एक व्यक्ति या विधिक इकाई से है, जो औद्योगिक क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण में निधि की भागीदारी, तकनीकी कौशल और विशेषज्ञता की अपेक्षित क्षमता के साथ औद्योगिक क्षेत्र के विकास में भाग लेने का इच्छुक हो। सह-विकासकर्ता मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र के विकास, विपणन तथा विक्रय/पट्टे के लिए उत्तरदायी होगा।

1. परियोजना का विवरण

यूपीएसआईसी द्वारा औद्योगिक विकास के परिदृश्य में निजी भू-स्वामियों की प्रत्यक्ष भागीदारी हेतु आमंत्रित करने के लिए एक नीति घोषित की गई है। भू-स्वामी औद्योगिक आस्थान परियोजना के संबंध में भूमि की व्यवहार्यता का परीक्षण करेगा, तदोपरान्त भू-स्वामी, यूपीएसआईसी एवं सह-विकासकर्ता औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस संबंध में सह-विकासकर्ता संबंधित अवस्थापना के विकास के लिए उत्तरदायी होगा।

1. नीति के अन्तर्गत 5 से 50 एकड़ (न्यूनतम 5 एकड़ भूमि, अधिकतम 50 एकड़ भूमि) के विधिक कब्जे (स्वामित्व या 99 वर्ष का पट्टा) वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह (विधिक इकाई, अर्थात् कंपनी, एसपीवी, आदि के रूप में गठित) को स्वयं की भूमि पर 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' के विकास हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर, भू-स्वामी/भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक इकाई तथा सह-विकासकर्ता 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' के विकास के लिए त्रिपक्षीय संयुक्त समझौता निष्पादित करेंगे।
3. भू-स्वामी/ भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक इकाई भूमि उपलब्ध कराएंगे, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि. नियोजन तथा वांछित अनुमोदनों व प्रोत्साहन लाभों के संबंध में आवश्यक 'जानकारी/विशेषज्ञता' उपलब्ध कराएगा तथा सह-विकासकर्ता पूंजी, कार्यान्वयन और विपणन के अनुभव के रूप में योगदान करेगा।
4. भू-स्वामी/ भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक इकाई द्वारा 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' के विकास के लिए अपनी भूमि को उपलब्ध कराने हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि. की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। आवेदन के साथ संबंधित अभिलेख तथा भूमि स्वामित्व के प्रलेख भी प्रस्तुत करने होंगे।
5. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि. की वेबसाइट पर प्राप्त आवेदन 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' परियोजना के अंतिम अनुमोदन के लिए दो समितियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे – प्रथम तकनीकी समिति और द्वितीय अनुमोदन समिति, अर्थात् उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि. बोर्ड। तकनीकी समिति में औद्योगिक क्षेत्र परियोजना की व्यवहार्यता (वित्तीय तथा अन्यथा) के परीक्षण के लिए सदस्यों के रूप में (वाह्य विशेषज्ञों सहित) तकनीकी विशेषज्ञ होंगे। इसकी संस्तुति आख्या को अंतिम अनुमोदन के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तकनीकी समिति और अनुमोदन समिति, दोनों ही समितियों को औद्योगिक क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव में अस्वीकार करने, अनुमोदन करने और संशोधन हेतु सुझाव देने का अधिकार होगा।
 - (अ) किसी भी औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के पूर्व, मांग, आपूर्ति, परियोजना लागत और वित्तीय व्यवहार्यता जैसे व्यापक / मैक्रो मापदंडों के आधार पर भूमि का प्रारंभिक मूल्यांकन होगा। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि स्वामित्व प्रलेखों का सत्यापन होगा। यह अपेक्षाकृत एक छोटी प्रक्रिया होगी, जो पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण हो जाएगी। भू-स्वामी/विकासकर्ता द्वारा भूमि कनेक्टिविटी, संपर्क मार्ग, जल व विद्युत की उपलब्धता और सन्निकट औद्योगिक क्षेत्रों / क्लस्टर के विवरण से युक्त आवेदन के साथ-साथ पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। आवेदन तथा पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट) का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि. द्वारा अपने कर्मचारियों/इस प्रयोजनार्थ आबद्ध एक परियोजना प्रबंधन इकाई (परामर्शी) के माध्यम से किया जाएगा।

- (ब) संस्तुति सहित सत्यापन एवं प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि. की तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह समिति परियोजना में अस्वीकार / अस्वीकार करेगी अथवा संशोधन हेतु सुझाव देगी।
- (स) जिन परियोजनाओं की प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट को तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, उनकी एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी और अनुमोदन हेतु तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यह प्रक्रिया प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट का अनुमोदन प्राप्त करने की तिथि से अधिकतम 90 कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण कर ली जानी चाहिए। विकासकर्ता द्वारा परिचय, परियोजना की पृष्ठभूमि, परियोजना का औचित्य, विकासकर्ता की पृष्ठभूमि, बाजार अध्ययन एवं मांग आकलन, स्थल का विन्यास (स्वीकृतियों की स्थिति, प्रस्तावित मास्टर प्लान, योजना की अवधारणा, एसटीपी, सीईटीपी, कच्चे माल की भंडारण सुविधा जैसी उपयोगिताओं का विवरण), परियोजना में सम्मिलित हितधारकों की संख्या के अनुसार परियोजना की संरचना, ऋण विवरण (यदि कोई हो) सहित परियोजना का वित्तपोषण, परियोजना विकास रणनीति और प्रोत्साहन रणनीति के विवरण के साथ डीपीआर तैयार की जाएगी।
- (द) तकनीकी समिति की संस्तुतियों सहित डीपीआर को उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर के समक्ष अंतिम अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
- (च) उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर के बोर्ड द्वारा परियोजना को अनुमोदित, अस्वीकार, स्वीकार किया जाएगा अथवा संशोधनों के सुझावा दिए जाएंगे। यदि प्रस्ताव में संशोधनों की संस्तुति की जाती है, तो पुनरीक्षित प्रस्ताव यूएसपीआईसी के बोर्ड के समक्ष 30 दिनों में प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।
6. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर के बोर्ड द्वारा परियोजना को अनुमोदित कर दिए जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर द्वारा सह-विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी। यह चयन या तो एम्पैनलमेंट, या प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया (क्यूसीबीएस) के माध्यम से किया जा सकता है। सह-विकासकर्ता के चयन की प्रक्रिया आगामी 40 कार्य दिवसों के भीतर पूर्ण कर ली जाएगी।
7. सह-विकासकर्ता के चयन के पश्चात् उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर, भू-स्वामी/भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक इकाई तथा सह-विकासकर्ता 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' के विकास के लिए एक त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम समझौता निष्पादित करेंगे।
8. त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने से 6 माह के भीतर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि. तथा सह-विकासकर्ता औद्योगिक क्षेत्र की योजना पर कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण हेतु वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करेंगे। सह-विकासकर्ता द्वारा निर्माण प्रारम्भ करने से 1 वर्ष के भीतर परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा।
9. नीति नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए लागू नहीं होगी।
10. 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' का अभिन्यास (लेआउट) संबंधित विकास प्राधिकरण के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होना चाहिए।

सहायता का परिमाण :

- निजी क्षेत्र के विकासकर्ता को 15 दिसंबर 2017 को अधिसूचित एमएसएमई नीति-2017 के उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2017 संख्या -22 / 2017/869 / 18-2-2017-80 (ल0उ0)/2017 के अनुच्छेद संख्या 5.1.7 के अनुसार प्रोत्साहित किया जाएगा।
- औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के कार्यान्वयन नियमों के अनुसार उपादान, छूट और अन्य अनुपालन लाभों की सीमा और परिमाण अनुमन्य होगा।
- समस्त अनुपालन एवं विस्तृत नीति हेतु 'सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु नीति' तथा कार्यालय आदेश संख्या 2860 / 77-6-2018 (एम) /17 टी.सी. 1, लखनऊ, दिनांक 20 जुलाई 2018 को माना जाएगा।

2. कार्यान्वयन तथा संचालन

1. अनुमोदित 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर, भू-स्वामी/भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक इकाई तथा सह-विकासकर्ता 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' के विकास के लिए त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार ही दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाएगा।
2. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर, भू-स्वामी/भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक इकाई तथा सह-विकासकर्ता की भूमिकाएं व उत्तरदायित्व तथा 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र' के विकास की कार्यान्वयन प्रक्रिया त्रिपक्षीय समझौते में विस्तार से उल्लिखित होगी। प्रमुख रूप से भू-स्वामी/ भू-स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक इकाई भूमि उपलब्ध कराएंगे, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि. नियोजन तथा वांछित अनुमोदनों व प्रोत्साहन लाभों के संबंध में आवश्यक 'जानकारी/विशेषज्ञता' उपलब्ध कराएगा तथा सह-विकासकर्ता पूंजी, कार्यान्वयन और विपणन के अनुभव के रूप में योगदान करेगा।
3. परियोजना में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर का पूंजी निवेश रहित 5 प्रतिशत का अंश होगा, अन्य सहभागियों का अंश परियोजना में उनके निवेश के अनुसार होगा।
4. सह-विकासकर्ता द्वारा अंतिम व्यवहार्यता और परियोजना विकास संरचना को प्रस्तुत करने के उपरान्त सह-विकासकर्ता तथा भू-स्वामियों का राजस्व में अंश निश्चित किया जाएगा।
5. सह-विकासकर्ता तथा भू-स्वामी औद्योगिक भूखंडों के विक्रय/पट्टे के माध्यम से परियोजना में अपने निवेश की पुनःप्राप्ति/वसूली कर सकेंगे। इन औद्योगिक भूखंडों के विक्रय/पट्टे के संबंध में भुगतान चरणों में किया जाएगा। परियोजना के लिए उपलब्ध धनराशि और निवेश पर अपेक्षित रिटर्न के आधार पर भूमि विक्रय/पट्टे की दरें निर्धारित की जाएंगी।
6. सह-विकासकर्ता का चयन निवेश पर प्रतिलाभ (रिटर्न) तथा विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों के आधार पर पारदर्शी निविदा प्रक्रिया (क्यूसीबीएस) के माध्यम से किया जाएगा।
7. नीति के माध्यम से विकसित औद्योगिक भूखंड केवल उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर की वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग/विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर भूखंडों की बुकिंग के उद्देश्य से एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) विकसित करेगा।
8. समस्त भुगतान उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर की वेबसाइट पर किए जाने चाहिए जो परियोजना-विशिष्ट एस्करो खातों से जुड़ी हो। चेक भी परियोजना-विशिष्ट एस्करो खातों में जमा किया जाना चाहिए।

9. भूखंडों के विक्रय से प्राप्त राजस्व को हितधारकों के बीच परियोजना में उनके निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाएगा, अर्थात् परियोजना में अंश के सापेक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर को 5 प्रतिशत् तथा सह-विकासकर्ता एवं भू-स्वामियों को 90 प्रतिशत् ।
10. निर्माण अवधि सहित प्रथम पांच वर्षों के लिए औद्योगिक क्षेत्र का संचालन तथा रखरखाव (ओ एंड एम) सह-विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। तदोपरान्त सह-विकासकर्ता औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों के स्वामियों की एसपीवी को ओ एंड एम स्थानांतरित करेगा।
11. सह-विकासकर्ता द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के संचालन तथा रखरखाव (ओ एंड एम) की अवधि में ओ एंड एम की सम्पूर्ण राशि मासिक आधार पर सह-विकासकर्ता को स्थानांतरित की जाएगी।

3. मुख्य हितधारकों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

• उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भू-स्वामी तथा विकासकर्ता की सहायता निम्नानुसार की जाएगी—

- (अ) निगम द्वारा उत्तर प्रदेश एमएसएमई नीति 2017 में उल्लिखित सभी शर्तों को पूर्ण करने में विकासकर्ता एवं भू-स्वामी को सुविधा प्रदान की जाएगी।
- (ब) निगम द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन में भू-स्वामी को सहायता प्रदान की जाएगी। इससे संबंधित शुल्क भू-स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा।
- (स) निगम सह-विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का परीक्षण करेगा तथा डीपीआर की तकनीकी जांच के बाद स्वीकृति प्रदान करेगा।
- (द) निगम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिभाषित कार्यान्वयन समयरेखा के अनुसार परियोजना के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगा।
- (च) उत्तर प्रदेश सरकार से विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में विभाग द्वारा विकासकर्ता/इकाइयों सहायता की जाएगी। इस प्रयोजन हेतु शुल्क सह-विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा—
 - i. संपत्ति पंजीकरण
 - ii. भवन योजना का अनुमोदन
 - iii. अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (निर्माण गतिविधियों को प्रारम्भ करने से पूर्व) या अनंतिम
 - iv. वृक्ष पातन हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
 - v. विद्युत संयोजन
 - vi. जल संयोजन
 - vii. सड़क काटने की अनुमतियाँ (यदि आवश्यक हो)
 - viii. कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकरण
 - ix. एयर एण्ड वॉटर ऐक्ट के अन्तर्गत स्थापना हेतु अनुमति
 - x. हेज़ार्डस एण्ड अदर वेस्ट्स (मैनेजमेंट एण्ड ट्रांस बाउण्डरी मूवमेंट) रूल्स 2016 के अन्तर्गत स्वीकृति
 - xi. वॉटर (प्रीवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) ऐक्ट, 1974 के अन्तर्गत संचालन स्वीकृति
 - xii. एयर (प्रीवेंशन एण्ड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) ऐक्ट, 1981 के अन्तर्गत संचालन स्वीकृति
 - xiii. द बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वर्कर्स (रेग्यूलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एण्ड कंडीशंस ऑफ सर्विस) ऐक्ट, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण
 - xiv. इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमेन (आरई/सीएस) ऐक्ट, 1979 के अन्तर्गत स्थापना पंजीकरण (यदि आवश्यक हो)
 - xv. मोटर ट्रांसपोर्ट ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकरण
 - xvi. द कॉन्ट्रैक्ट्स लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबॉलिशन) ऐक्ट, 1970 के प्राविधान के अन्तर्गत कॉन्ट्रैक्टर हेतु लाइसेंस
 - xvii. द कॉन्ट्रैक्ट्स लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबॉलिशन) ऐक्ट, 1970 के प्राविधान के अन्तर्गत प्रधान नियोक्ता के अधिष्ठान का पंजीकरण

• **भू-स्वामी**

- (अ) भू-स्वामी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ब) भू-स्वामी द्वारा कुल धारित भूमि के प्रत्यक्ष तथा/अथवा अप्रत्यक्ष विधिक या लाभकारी स्वामित्व के 'स्वामित्व में परिवर्तन' का निष्पादन किया जाएगा। भू-स्वामी 'आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु भूमि के पट्टे का समझौता' निष्पादित कर सकता है।
- (स) ऐसी स्थिति में जहां भूमि का स्वामित्व ऐसे व्यक्तियों के समूह के पास हो, जो कंपनी या कंसोर्टियम के रूप में पंजीकृत नहीं हों, तो अधिकतम भूमि बैंक के स्वामित्व वाले सहभागी व्यक्ति द्वारा भूमि में अपने अंश के हस्तांतरण के अंतर-समझौते (Inter-agreement) का विकास किया जाएगा। उक्त सहभागी अन्य व्यक्तिगत सहभागियों के भूमि पार्सल के अंश को भी प्रकट करेगा। भूमि पार्सल के इस अंश का उपयोग भविष्य के समस्त भुगतानों और प्रतिपूर्ति के लिए किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों का समूह भूमि उपयोग और अन्य समस्त विधिक विषयों उनके पारस्परिक समझौते के बारे में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, कानपुर को एक विलेख / वचन पत्र / प्रमाण प्रदान करेगा।
- (द) कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम के प्रकरण में अधिकतम भूमि के स्वामित्व वाले एकल प्रवर्तक को कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का नेतृत्वकर्ता या नायक (Lead) माना जाएगा। ऐसे प्रकरण में भू-स्वामियों के कंसोर्टियम में अधिकतम भूमि के स्वामित्व वाले भू-स्वामी द्वारा भूमि में सभी भू-स्वामियों अंश के हस्तांतरण के अंतर-समझौते (Inter-agreement) का विकास किया जाएगा।
- (च) भू-स्वामी, उत्तर प्रदेश लघु उद्यम निगम लि., कानपुर तथा सह-विकासकर्ता द्वारा त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित करने के पश्चात् भू-स्वामी द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु गठित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) (प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म) के पक्ष में भूमि का हस्तांतरण किया जाएगा, किन्तु शर्त यह होगी कि यदि डीपीआर कार्यान्वयन समयरेखा (उत्तर प्रदेश लघु उद्यम निगम लि., कानपुर/समिति द्वारा स्वीकृत) में परियोजना पूर्ण नहीं होती है, तो भूमि को मौलिक भू-स्वामी को रूथानांतरित कर दिया जाएगा तथा इस प्रयोजनार्थ व्यय सह-विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

• **सह-विकासकर्ता**

- (अ) सह-विकासकर्ता द्वारा निर्धारित प्रारूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर के आवेदन उत्तर प्रदेश लघु उद्यम निगम लि., कानपुर में प्रस्तुत किया जाएगा। (संदर्भ-अनुलग्नक)
- (ब) सह-विकासकर्ता द्वारा निम्नलिखित चरणों में उल्लिखित कार्य किया जाएगा-

परियोजना का चरण	रियायातग्राही (कन्सेशनेयर) द्वारा सम्पादित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां
नियोजन से पूर्व	परियोजना हेतु पूंजी उपलब्ध कराना
	ऋणदाताओं के साथ वित्तीय अंतिमीकरण
	समस्त वांछित स्वीकृतियां प्राप्त करना
नियोजन	क्रेताओं को आकर्षित करने हेतु ब्राण्डिंग एवं विपणन
अंतरिम चरण/निर्माण	निर्माण एवं निम्न गतिविधियों सहित समस्त कार्यवाही-

	<p>i. अभियंत्रण, अधिप्राप्ति, वित्त, निर्माण, संचालन तथा परियोजना की सुविधाओं का रखरखाव</p> <p>ii. पर्यावरण प्रबंधन तथा अनुश्रवण</p>
	इस समझौते के अन्तर्गत कार्य-विस्तार में परिभाषित गतिविधियों सहित प्रदत्त अधिकारों, शक्तियों, लाभों, विशेषाधिकारों, अनुज्ञप्ति तथा पात्रता-अधिकारों का प्रयोग करना
संचालन तथा रखरखाव	<p>i. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सुविधाओं का संचालन तथा रखरखाव</p> <p>ii. प्रबंधन के समस्त प्रभार की बिलिंग (यूज़र चार्ज)</p> <p>iii. हितधारकों के अंश (इक्वीटी) के आधार पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगत, कानपुर के साथ राजस्व का बंटवारा</p>

- **क्रेता**

- i. भूखंडों के क्रय का भुगतान क्रेता द्वारा किया जाएगा
- ii. क्रेता द्वारा ओ एंड एम शुल्क प्रदान किया जाएगा
- iii. भू-स्वामी द्वारा भूमि के प्रत्यक्ष तथा/अथवा अप्रत्यक्ष विधिक या लाभकारी स्वामित्व के 'स्वामित्व में परिवर्तन' का निष्पादन किया जाएगा।

4. भूमि आवंटन प्रक्रिया

1. इकाई द्वारा आवश्यक शुल्क तथा वांछित भूखंड के मूल्य की 10 प्रतिशत राशि व संलग्नकों (चेकलिस्ट के अनुसार) सहित निर्धारित आवेदन-प्रपत्र पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
2. आवेदन तथा अन्य निर्दिष्ट अभिलेखों के प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर आवेदक को एक लेटर ऑफ इंटेन्ट (एलओआई) जारी किया जाएगा। इकाई द्वारा एलओआई में वर्णित समस्त शर्तों का अनुपालन 30 दिनों के भीतर किया जाना होगा।
3. एलओआई में उल्लिखित औपचारिकताओं के पूर्ण होने के पश्चात् 7 दिनों के भीतर आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
4. इकाई को आवंटन आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर एक पट्टा/विक्रय विलेख पर हस्ताक्षर करना होगा।
5. निष्पादित पट्टा/विक्रय विलेख को पंजीकृत होना चाहिए तथा 30 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर में जमा करना होगा।
6. पंजीकृत पट्टा/विक्रय विलेख को जमा करने की तिथि से 7 दिनों के भीतर इकाई को आवंटित भूखंड का कब्जा प्रदान कर दिया जाएगा।
7. कब्जा प्राप्त करने की तिथि से सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों द्वारा 2 वर्ष के भीतर, मध्यम इकाइयों द्वारा 3 वर्ष के भीतर तथा वृहद् इकाइयों द्वारा 4 वर्ष के भीतर उत्पादन प्रारम्भ कर देना चाहिए।
8. एंकर इकाई के प्रकरण में, विक्रय-योग्य भूमि की 40 प्रतिशत से अधिक भूमि को एक एंकर इकाई को आवंटित नहीं किया सकता है।

5. आवेदन जमा/प्रस्तुत करने हेतु निर्देश :

- इस रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का उद्देश्य बाजार में परियोजना के विषय में प्रारंभिक जागरूकता पैदा करना, परियोजना कार्यान्वयन तथा राज्य के विभिन्न स्थानों पर भूमि हेतु उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम (उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर) के साथ सहयोग के लिए संभावित भू-स्वामियों को चिन्हित करना है। ईओआई प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के पश्चात् इस ईओआई में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों को विभाग द्वारा पारस्परिक संवाद/प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसके आधार पर निविदा मापदंडों की अंतिमीकरण, परियोजना की संरचना, भू-स्वामियों की भूमिका सहित परियोजना के विन्यास के विषय में निर्णय किया जाएगा तथा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
- पूर्ण स्पष्टता के उद्देश्य से, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस ईओआई आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में प्राप्त रुचि से संबंधित समस्त अभिव्यक्तियों पर उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर द्वारा अंतिम निर्णय लेना अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर समस्त अथवा किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने हेतु अथवा इस ईओआई से विलग व स्वतंत्र किसी परियोजना के लिए भूमि आवंटन की भिन्न प्रक्रिया संपादित करने हेतु अधिकृत है। उक्त शर्त को इस ईओआई के मूलतत्व के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
- उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर अपने पूर्ण विवेकाधिकार में, किन्तु बिना किसी बाध्यता के इस ईओआई में निहित सूचना, आकलन अथवा पूर्व-धारणा को अद्यतन, संशोधन अथवा पूरक व्यवस्था कर सकता है। इस ईओआई अभिप्राय यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर परियोजना हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ करने के लिए बाध्य है तथा/अथवा पूर्व-अर्ह निविदाओं की लघु सूची बनाने अथवा चयनित निविदाकर्ता अथवा विकासकर्ता नियुक्त करने के लिए बाध्य है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर समस्त अथवा किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने हेतु अधिकृत है।
- आवेदक द्वारा समस्त सूचना निर्धारित प्रपत्र प्रारूपों ए और बी में प्रस्तुत की जाएगी।
- कोई भी अन्य प्रासंगिक सूचना, जो योजना के संदर्भ में प्रवर्तकों की प्रामाणिक जानकारी तथा उपयुक्तता की पुष्टि करती हो।
- आवेदक निर्धारित प्रारूप 'ए' एवं 'बी' के अनुसार अपना आवेदन रू0 5900.00 (जी0एस0टी0 सहित) की प्रोसेसिंग फीस (नॉन-रिफन्डेबल) के डिमाण्ड ड्राफ्ट (उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के पक्ष में) के साथ अपना आवेदन निगम मुख्यालय 110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर में प्रस्तुत करेगा।
- इस रुचि की अभिव्यक्ति के क्रम में प्रस्ताव विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त **उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 110, कानपुर रोड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फजलगंज इंडस्ट्रियल एस्टेट, फजलगंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश 208013** को संबोधित सीलबंद लिफाफे में प्रत्येक कार्यदिवस में सायंकाल 5 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

6. भू-स्वामियों के चयन हेतु सूचीबद्ध (शॉर्ट लिस्ट) करने के मानदंड

ईओआई प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ताओं के चयन हेतु लघुसूची निम्नांकित मापदंडों के आधार पर तैयार की जाएगी-

क्र.सं.	मापदंड	श्रेणी	विवरण
1	भू-उपयोग	बंजर भूमि	भू-स्वामी द्वारा प्रारूप ए के बिन्दु 3 में भूमि की श्रेणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जानी चाहिए
		कृषि	
		वन	
		नदी	
		जलाशय	
2	रेलमार्ग से दूरी	0-2 किलोमीटर	भू-स्वामी द्वारा प्रारूप ए के बिन्दु 6 में निकटतम दूरी की रेंज स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जानी चाहिए
		2-5 किलोमीटर	
		5-10 किलोमीटर	
		10-20 किलोमीटर	
		20 किलोमीटर से अधिक	
3	सड़कमार्ग से दूरी	0-2 किलोमीटर	भू-स्वामी द्वारा प्रारूप ए के बिन्दु 8(अ) में निकटतम दूरी की रेंज स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जानी चाहिए
		2-5 किलोमीटर	
		5-10 किलोमीटर	
		10-20 किलोमीटर	
		20 किलोमीटर से अधिक	
4	नदी से दूरी	2 किलोमीटर से अधिक	भू-स्वामी द्वारा प्रारूप ए के बिन्दु 8(द) में निकटतम दूरी की रेंज स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जानी चाहिए
		1-2 किलोमीटर	
		500 मी.-1 किलोमीटर	
		250-500 मी.	
		0-250 मी.	
5	नगरीय क्षेत्र से निकटता	2 किलोमीटर से अधिक	भू-स्वामी द्वारा प्रारूप ए के बिन्दु 7 में निकटतम दूरी की रेंज स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जानी चाहिए
		1-2 किलोमीटर	
		500 मी.-1 किलोमीटर	
		250-500 मी.	
		0-250 मी.	
6	विशेष अनुमति	क्या भूमि किसी पूर्व-निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित है, जिसके लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होगी?	भू-स्वामी द्वारा किसी पूर्व भू-उपयोग के विवरण का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए (यथा-टीटीजेड आदि)

भू-स्वामियों हेतु प्रारूप

भू-स्वामी द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाएगा (ऑनलाइन)

1. आवेदक का नाम एवं पता (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)	
2. निर्देशांक के साथ स्थान का नाम जहाँ भूमि उपलब्ध है।	
3. क्या भूमि भू-स्वामी के नाम पर है? न्यायालय में कोई वाद लंबित है? कोई अन्य संयुक्त धारक/स्वामी?	
4. भूमि की स्थिति (कृषि/वाणिज्यिक उपयोग) – मौलिक भू-उपयोग	
5. वन से भूमि की दूरी	
6. विक्रय हेतु भूमि का विवाद-रहित स्पष्ट स्वामित्व विलेख/समझौता विलेख (मानचित्र के साथ)	
7. भूमि की स्थिति रेल/सड़कमार्ग से दूरी सहित	
8. क्षेत्र का विवरण (प्रस्तावित क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक पारिस्थिकी तंत्र)	
9. न्यूनतम अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हैं? अ. संपर्क मार्ग ब. झंझावात जल निकासी प्रणाली स. घरेलू सीवरेज एंक्लीकरण व निस्तारण तंत्र द. निकटस्थ जल स्रोत	
10. भूमि का मूल्य (कृपया प्रश्नगत क्षेत्र का प्रचलित सर्किल रेट उद्धृत करें)	
11. यदि भूमि व्यक्तियों के एक समूह के स्वामित्व में हो तथा वे एक कंपनी या कंसोरटियम के रूप में पंजीकृत नहीं हों	<ul style="list-style-type: none"> ● भूमि के अधिकतम क्षेत्रफल वाले भाग के स्वामी का नाम ● समझौता/विलेख/प्रमाण (संलग्न किए जाने वाले प्रलेख की प्रति)
12. कंसोरटियम या एसपीवी होने पर नेतृत्वकर्ता का अंश	
13. कंपनी के एक से अधिक कंसोरटियम का सदस्य होने पर उसके कारोबार एवं शुद्ध संपत्ति के सापेक्ष उसका वित्तीय क्षमता/सामर्थ्य	
14. प्रोसेसिंग फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक एवं बैंक विवरण।	

हस्ताक्षर

आवेदन-पत्र का प्रारूप

(आवेदक द्वारा ईओआई आवेदन के साथ जमा किया जाएगा (कंसोरटियम होने पर नेतृत्वकर्ता द्वारा)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड,

110, कानपुर रोड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, फजलगंज इंडस्ट्रियल एस्टेट,

फजलगंज, कानपुर, उत्तर प्रदेश 208013

विषय : आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु भू-स्वामी सहभागी के रूप में प्रतिभाग करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

महोदय,

आपके प्रकाशित ईओआई अभिलेख, दिनांक ———, के संदर्भ में उक्त अभिलेख को विस्तार से भली प्रकार पढ़ने तथा समझने के उपरान्त मैं/हम आपको सूचित करता/करती/करते हूँ/हैं कि आप द्वारा आमंत्रण के अधीन मैं / हम उपलिखित परियोजना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक हूँ/हैं। उपलिखित विषय के संदर्भ में, अधोहस्ताक्षरी मैं/हम एतद्वारा परियोजना में भाग लेने हेतु अपनी रुचि व्यक्त कर रहा/रही/रहे हूँ/हैं।

मैं/हम समझता/समझती/समझते हूँ/हैं कि इस ईओआई का उद्देश्य बाजार में परियोजना के विषय में प्रारंभिक जागरूकता पैदा करना तथा परियोजनाओं में रुचि रखने वाले संभावित भू-स्वामियों को चिन्हित करना है। इसके अतिरिक्त इस ईओआई का अभिप्राय यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर चयनित निविदाकर्ता को नियुक्त करने के लिए बाध्य है, विभाग समस्त अथवा किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने हेतु अधिकृत है। इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि., कानपुर अपने विशेष विवेक पर केवल ईओआई प्रस्तुत करने वाले इच्छुक पक्षों से अथवा खुले बाजार से निविदा आमंत्रित कर सकता है।

मैं/हम समझता/समझती/समझते हूँ/हैं कि ईओआई अभिलेखानुसार मैं/हम इस ईओआई में भाग लेने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करता/करती/करते हूँ/हैं तथा ईओआई अभिलेख में निर्दिष्ट परियोजना के लिए हमारी रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) तैयार की है।

इसके अतिरिक्त मैं/हम समझता/समझती/समझते हूँ/हैं कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों के मूल्यांकन के उपरान्त विभाग उपयुक्त प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट करेगा और शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों से विस्तृत प्रस्ताव मांग सकता है।

हम पुष्टि करते हैं कि हम ईओआई के लिए निमंत्रण में दिए गए निर्देशों, नियमों एवं शर्तों से सहमत हैं।

अधोहस्ताक्षरी घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि विधिवत रूप से पूर्ण आवेदन में प्रदान की गई प्रत्येक सूचना/जानकारी पूर्ण, सत्य एवं सही है।

भवदीय/भवदीया

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

दिनांक :

(नाम/भू-स्वामियों की प्रतिनिधि इकाई)

स्थान :